# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2019

1 झाबर सिंह आयु 51 वर्ष पुत्र श्री गोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भोमाराम आयु 65 वर्ष पुत्र बोदूराम।
2 हरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र रामकुंवार।
3 सुल्तान आयु 60 वर्ष पुत्र बोदूराम।
4 भींवाराम आयु 70 वर्ष पुत्र सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का थोई श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.01.2019
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला सीकर मुकदमा नम्बर
1/2019 बउनवानी झाबर सिंह बनाम भोमाराम
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री पुरूषोतम शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहन सिंह मूण्ड, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 18.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 1/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 251/6, 251/9 किस्म गैर मुमकिन रास्ता तन ग्राम रामपुरा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दावा पेश होने के दिन ही वादकरण के अभाव में वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अपने वाद में वादकरण स्पष्ट रूप से अंकित किया है इसके साथ ही पर्याप्त कोर्ट फिस अदा की है। विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर वाद पोषणीय नही मानकर खारिज किया है। जो विधिक त्रुटि है। अपीलांट को इस निर्णय की जानकारी नही हुई है जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 251/6,251/9 तन ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की किस्म जमाबंदी के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता है यह भूमि राज्य सरकार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट ने इस भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है अपीलांट न तो इस भूमि का खातेदार काश्तकार है न ही अपीलांट का इस भूमि पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में इस भूमि हेतु अपीलांट विधि अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नही है। इस भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को वादकरण प्राप्त नही है। विचारण न्यायालय में वाद का समुचित अवलोकन

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर सम्यक रूप से वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 251/6,251/9 तन ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की किस्म जमाबंदी के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता है यह भूमि राज्य सरकार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट ने इस भूमि बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है अपीलांट न तो इस भूमि का खातेदार काश्तकार है न ही अपीलांट का इस भूमि पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में इस भूमि हेतु अपीलांट विधि अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नही है। इस भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को वादकरण प्राप्त नही है। विचारण न्यायालय में वाद का समुचित अवलोकन कर सम्यक रूप से वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर